रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2010/श्रावण 28, 1932

No. 460] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2010/SHRAVANA 28, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 685(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सूबेदार (पुस्तकाल्याध्यक्ष) भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में निरीक्षक (पुस्तकाल्याध्यक्ष), समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकाल्याध्यक्ष), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, जैसा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में विनिर्दिष्ट है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

3263 GI/2010

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निरीक्षक (पुस्तकाल्याध्यक्ष)	1*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से कम । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. शैक्षिक अर्हताएं :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वद्यिालय या संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य;	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)

(iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर उपयोजन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम;

(iv) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में न्यूनतम दो वर्ष का वृतिक अनुभव ।

2. शारीरिक मानक :-

	पुरुष	महिला
ऊँचाई	170 सें.मी	157 सें.मी.
3. शिथिलीकरण :-		
गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165 सें.मी.	155 सें.मी.
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.	154 सें.मी.

छाती :

	साधारण	**अनुसूचित जनजातियों**
(बिना फुलाए)	80 सें.मी.	77 सें.मी.
(फुलाने पर)	85 सें.मी.	82 सें.मी.

वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक (पुरुष और महिलाओं के लिए)

3. चिकित्सा मानक :—

(क) दृष्टि : बिना सुधार किए हुए अर्थात् लैंस के चश्मा लगाए बिना दोनों आँखों की न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पाँव, फूली हुई नसें या भैंगी आँखों वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृष्टि वाला होना चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो ।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार में अवश्य अर्हता प्राप्त होना चाहिए ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** केन्द्रीय या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो सदृश या समतुल्य पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास उस कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है; या

(12)
(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है ।
(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हैं ।
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 3 : किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 4. उप-कमांडेंट या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 1.12013/12/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force, Subedar (Librarian) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Librarian), Group 'B' post in the Indo-Tibetan Border Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector (Librarian), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, Medical Manual shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of the said rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inspector (Librarian)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band 2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Below 30 years. (Relaxable upto five years for Departmental candidates in accordance with the instruction or order issued by the Government.) **Note.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
1. **Educational Qualifications :—** (i) Graduate from a recognised University; (ii) Degree in Library Science or equivalent from a recognised University or Institution; (iii) Certificate Course in Computer Application from recognised Institute; (iv) Minimum two years professional experience in a Library under Central Government/State Government or University or Research Institution. 2. **Physical Standards :—** **Height :** Men 170 cms. Women 157 cms. **Relaxation :** Men 165 cms. Women 155 cms. Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir. **All candidates belonging to Schedule Tribes :** Men 162.5 cms. Women 154 cms. **Chest :** **General** / **Schedule Tribes** (Unexpanded) 80 cms / 77 cms (Expanded) 85 cms / 82 cms **Weight :** Corresponding to height and age as per medical standards (for males and females). 3. **Medical Standards :—** (a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles of lenses. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. 4. Must qualify the physical efficiency test, written test and interview.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment failing which by deputation/absorption.	**By deputation/absorption :** Officers of the Central or State Government Department :— (a) (i) holding equivalent or analogous post with at least three years experience in the line; or (ii) Officers in PB-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200 who have rendered not less than five years regular service in the grade. (b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruitment under column (8). **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. **Note 3 :** The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee will consisting of :— 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 4. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

[F. No. I-12013/12/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.
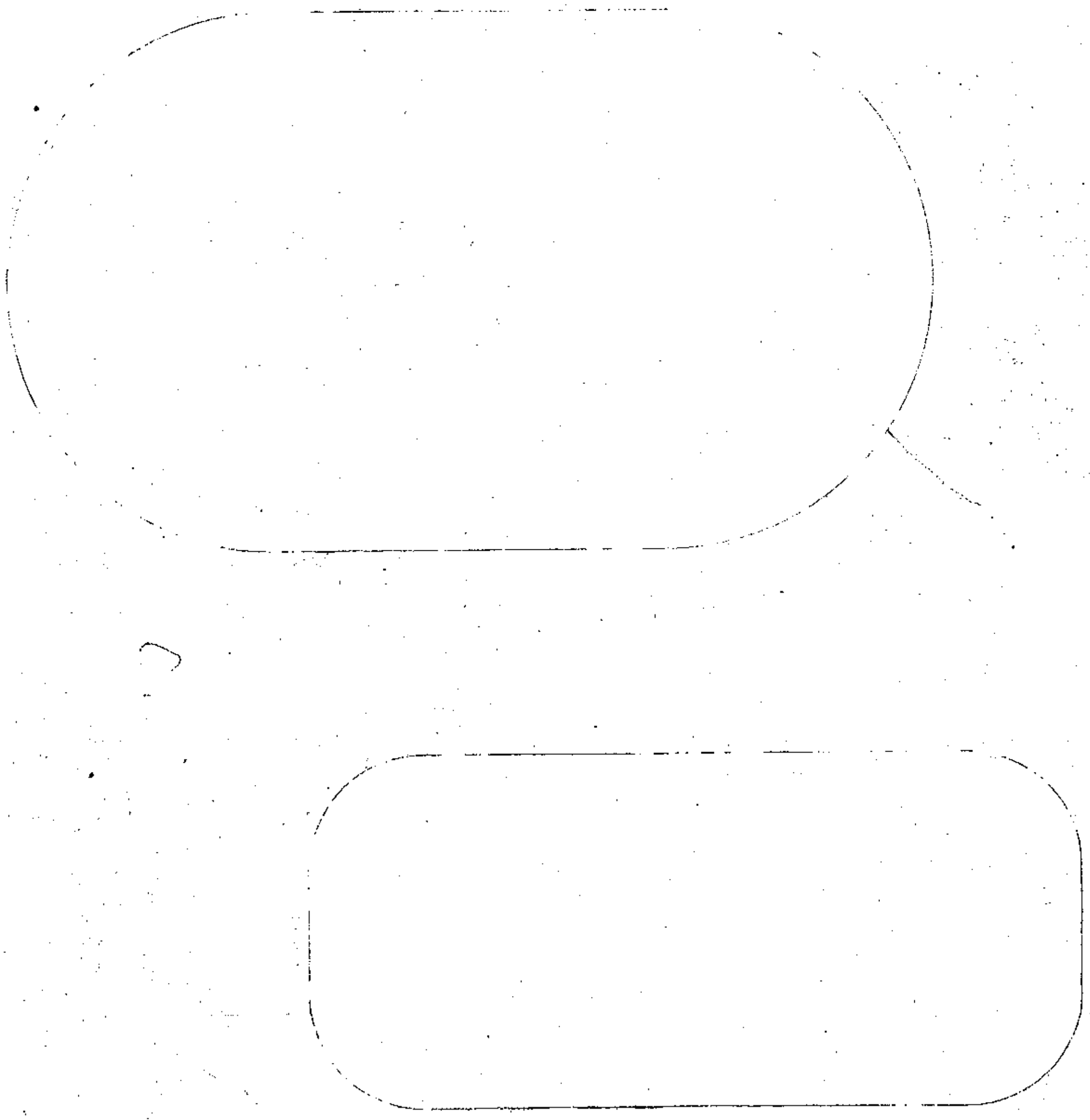
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.